संख्या-1414/2025/1874/22-2-2024-17(686)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 26 नवम्बर, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रताप सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी जनपद-बदायूं की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-30216/प्रोबे0-5-दया0/बैठक दिनांक-16.09.2024, दिनांक 07.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रताप सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, नौली फतुहाबाद, थाना-उसहैत जनपद-बदायूँ का निवासी है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 11-11-2003 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर ट्रैक्टर से कुचल कर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-213/2006, भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-06, बदायूं के दण्डादेश दिनांक 27-11-2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 15-09-2021 द्वारा निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 22.04.2024 तक अपरिहार 12 वर्ष, 04 माह, 20 दिन तथा सपरिहार 15 वर्ष, 09 माह, 11 दिन की सजा भोगी गयी है।

दयायाचिका समिति की आख्या में उल्लिखित किया गया है कि सिद्धदोष बन्दी प्रताप सिंह पुत्र श्री अमर सिंह की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की 53 वर्ष की आयु एवं बन्दी द्वारा आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनाक 22.04.2024 तक अपरिहार 12 वर्ष, 04 माह, 20 दिन तथा सपरिहार 15 वर्ष, 09 माह, 11 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष समयपूर्व रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट बदायूँ द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की जाती है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रताप सिंह (बन्दी संख्या-27555) पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी जनपद-बदायूं की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

shasanadesh.up.gov.in

संख्या-1414/2025/1874(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बदायूं।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।